कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र., भोपाल

क्रमांक / F-1/FP/MP/MIN/23750/2017/ 4872 भोपाल, दिनांक 13/09/2024

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः– वन मंडल उत्तर बालाघाट के परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी (मोहगांव) के वन कक्ष क्र. RF-1491 के रकबा 40.468 हे. वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से बाक्साइड उत्खनन एवं विभिन्न निर्माण कार्य हेतु मेसर्स धरमजी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लि. मुम्बई का आन लाईन प्रस्ताव क्र.FP/MP/MIN/23750/2017

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-10/2021-FC, दिनांक 22.03.2024

---0---

विषयांकित परियोजना के संबंध में आपके द्वारा पत्र क्र. / 8-10/2021-FC दिनांक 22.03.2024 से 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई 06 बिन्दुओं की जानकारी में से वन मंडल अधिकारी, उत्तर बालाघाट द्वारा पत्र दिनांक 1922 दिनांक 23.08.2024 से 03 बिन्दुओं पर तथा उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा पत्र दिनांक 05.09.2024 से 03 बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत की गई है। अतः प्राप्त जानकारी अनुसार 06 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार हैः–

i. The State Govt. requesed to submit the approved miningplan involvingthe entire 40.468 ha forest land in the instant mine .Howeyer the same has not been submitted and needs submission .Further, the state shall ensure that the component wise area proposed for diversion is commensurate with the approved mining plan.

इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि इस खदान की नवीन खनन योजना को भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक / E-9941 MCDR-MPC 08XT/2/2024-JBL-RO-JMP दिनांक 09.04.2024 से अनुमोदित की गई है। अनुमोदित प्रति परिशिष्ठ–1 में संलग्न है। इस अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्ताव के भाग–1 में बिन्दु क्रमांक M-2(iv) में अपलोड भी की गई है।

अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार विभिन्न कार्यो हेतु वनभूमि की आवश्यकता निम्नानुसार होगीः–

क्रमांक	कार्य का नाम	आवश्यक वनभूमि (हे.में)
1	Site services	0.267
	Dumping	0.416
	Stacking	0.312
	Parking	0.567
	Old Broken Area	6.07
	Path and Road	1.442
	Minable Area	28.035
	Non Minable Area	(-) 1.442
	Barrier Zone	1.917
	Total	40.468

ii. As per the site inspection Report of Reegional office, Bhopal it has been reported that since more than 6.5 years have aiready elpsed after the enumeration a fresh enumerationmay be requied to ascertain the actual no.of trees, species and girth wise proposed to be felled. Therefore the State Govt. shall submit fresh tree enumeration details .

भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 22.03.2024 को दिये गये निर्देशों के पालन में वन मंडल अधिकारी, उत्तर बालाघाट द्वारा आवेदित वनक्षेत्र में मौजूद वृक्षों की पुनः गणना करवाई गई है।

वृक्षों की पुनः गणना करने पर आवेदित वनक्षेत्र में कुल 11942 वृक्ष पाये गये है। पुनः गणना में पाये गये वृक्षों का प्रजातिवार विवरण प्रस्ताव के भाग–2 में बिन्दु क्रमांक 4(ii) में अपलोड कर दिया गया है।

iii. As per the site inspection Report of Reegional office, Bhopalit has been reported that majority of the area proposed for CA contains natural vegetation (Copy enclosed). In case of such areas a programme for improvement of the forest crop is required to be submitted as per ruls.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में वन मंडल अधिकारी उत्तर बालाघाट द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई गैर वनभूमि पर पूर्व से वन विद्यमान है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.11.2023 से जारी वन (संरक्षण एवं समवर्धन) नियम के बिन्दु क्रमांक–13 के पौरा–3 में यह प्रावधानित है कि यदि क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई गैरवनभूमि पर पूर्व से ही वन मौजूद है तो ऐसी स्थिति में वन सस्य के सुधार की योजना तैयार की जानी चाहिये।

इस नियमों के पालन में वनमंडल अधिकारी उत्तर बालाघाट ने क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध करवाई गई गैरवनभूमि पर वन सस्य सुधार योजना (Programme for improvement of forest crop) तैयार कर प्रस्तुत की है जो परिशिष्ट–2 में संलग्न है।

iv. The State has submitted the reply of the user agency withut any comments or verification of the fact that the area proposed for compenstory Afforestation is Non Forest land in this regard, the State Nodal officer shall submitted a certificate that the area proposed for compensatory afforestation is Non-Forest land (NFL).

प्रस्ताव में आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि राजस्व विभाग के अधीन आती है। वन विभाग के पास किसी भी राजस्व भूमि या राजस्व वनभूमि का रिकार्ड उपलब्ध नहीं रहता है।

प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार राजस्व वनभूमि नहीं है। राजस्व विभाग के खसरा पंचशाला की प्रति भाग–1 के बिन्दु क्रमांक L (iv) में अपलोड है।

v. The user agency/state was asked to submit the KML File as per the component wise details given in online part-I, hawever the same has not been submitted Instead a map has been submitted howere the details given in the said map are at variance with component wise plan e.g the mineable area as per the component wise is 28-035 ha wereas in the map the Net proposed Mining area has been mentioned as 29.477 ha. The State shall therefore submit the correct component wise map and KML File for the proposed area .

आवेदक संस्था ने इस खदान में विभिन्न कार्यो के लिये आवश्यक वनभूमि की KML File तैयार कर इसे प्रस्ताव के भाग–1 में बिन्दू क्रमांक C ii (a) में अपलोड कर दिया है तथा KML File पेनड्राई में संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रस्ताव में खनन का रकबा 28.035 हेक्टेयर ही होना अवगत कराया है।

vi. The As per the componet wise breakup menttioned in online part-I. the total broken forest area reprted as 6.07 ha wheras the same has been mentioned in the mining plan as 3.066 ha. A clarification was sought from the state, however the state has not submitted satisfactory reply in this regard the same need summation.

आवेदक संस्था को राज्य शासन द्वारा पूर्व में 6.07 हेक्टेयर वनभूमि का अधिपत्य दिया गया था। आवेदक संस्था द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा इस 6.07 हेक्टेयर वनभूमि का तत्समय ओवर बर्डन हटा दिया गया था। आवेदक संस्था द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि 6.07 हेक्टेयर वनक्षेत्र में ओवर बर्डन हटाने के उपरान्त खनिज निकालने का कार्य 3.066 हेक्टेयर वनक्षेत्र में ही किया गया है।

अतः उपयोगकर्ता एजेंसी का आवेदन दिनांक 05.09.2024 एवं वन मंडल अधिकारी, उत्तर बालाघाट के पत्र दिनांक 23.08.2024 से प्रस्तुत जानकारी/अभिलेख संलग्न प्रेषित कर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

13.09.24

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/F-1/FP/MP/MIN/23750/2017/ भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपिः–

1 मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश
2 वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, उत्तर बालाघाट, म.प्र.।
3 मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

13.09.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल